श्रीमान जी,

निवेदन है कि श्रीमान् जिला कलक्टर एवं जिला पंजीयक, श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांकः—पंजी/11/2338 दिनांक 23.11.2011 द्वारा श्रीमान् जी को बन्द वसीयत प्रार्थना पत्र एवं बन्द वसीयत खुलवाने बाबत् अधिकृत किया हुआ है। जिसकी पालना में उक्त बन्द वसीयत को खोलने की कार्यवाही की जा रही है।

2021/186

प्रार्थी भूपेन्द्र सिंह पुत्र गुरनाम सिंह जाति जटसिख निवासी कीकरचक 24 एसडीएस तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर ने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, मूलरसीद, मृत्यु प्रमाण पत्र, वारिसनामा, आई डी प्रूफ पेश कर निवेदन किया है कि मेरे पिता गुरनाम सिंह पुत्र स्वरूप सिंह जाति जटसिख निवासी कीकरचक 24 एसडीएस तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर ने दिनांक 30.07.2018 को वसीसत कस्टडी में रखवाई थी। जिनका देहांत दिनांक 17.12.2020 को हो गया था। उनके द्वारा दिनांक 30.07.2018 को रखवाई गयी बंद वसीयत खोला जाकर निष्पादन की कार्यवाही हेतु निवेदन किया है।

प्रार्थी को गवाहान सतनाम सिंह गोदारा पुत्र गुरजण्ट सिंह गोदारा एवं कुलदीप सिंह पुत्र छिन्द्रपाल सिंह भुल्लर ने पहचाना है। प्रार्थी एवं गवाहों की शिनाख्त श्री एम.आर. गर्ग अधिवक्ता ने की है। अतः निर्धारित शुल्क जमा कर सील्ड पैकेट बंद लिफाफा खोले जाने हेतु प्रस्तुत है।
अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है।

3/3/21

जिला पंजीयक महोदय